



17.02.2025

पत्रावली पेश हुई।

आधिकारिता वाली अर्पण/आधिकारिता वाली को नोटिफ
 तलबाना प्रथम रजिस्टर्ड एडी. पेश करने हेतु पथ
 एवं इसके श्री अधिकार अवलंबी ज्ञान विधि में,
 कायूड इसके आधिकारिता वाली द्वारा नोटिफ तलबाना
 प्रथम रजिस्टर्ड एडी. पेश नहीं विधि में है जबकि
 पत्रावली वर्ष-2014 से तलबाना के लिए पर-
 लम्बित है तथा इसके पूर्व का (पत्रावली)
 दी गई, परन्तु कायूड इसके आधिकारिता वाली
 द्वारा नोटिफ तलबाना प्रथम रजिस्टर्ड एडी. पेश
 नहीं विधि में है किंतु : पत्रावली तथा अप
 आदेश की अपाएना में जारी अदम तलबाना
 ई। ए। ए। खातिर की जाती हैं।

पत्रावली के लिए युआ (केडी)

नम्बर के रूप में जारी जारी  पथ

के।

 सहायक कलेक्टर एवं कायपालक मजिस्ट्रेट
 (फास्टट्रेक) सांचौर